फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर बनाम विपक्षी श्री रतनलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 70/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 18.11.2025

पत्रावली पेश हुई। राजकोरोकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा हिदायत पैरवी से इन्कार किया। विपक्षी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी सम्वत् 2050–53 अनुसार खाता सं. 2 आराजी सं. 17 श.न. 18 रकबा 2–00 बिघा किस्म हकत द्वि. पडत तृ. खातेदार रतनलाल पिता कालू अहीर, लक्ष्मण, चतुर्भुज, उंकारलाल, रूपलाल पिता श्रीलाल अहीर निवासी जैतपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी स. 17 श.न., 18 रकबा 2–00 बिघा किस्म हकत द्वि. पडत तृ. में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य क्रेशर प्लांट में उपयोग किया जा रहा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी द्वारा गैर कृषि गतिविधि संचालित किये जाने का कथन कहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज रेकर्ड है। अगर प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर गैर कृषि गतिविधि संचालित की जा रही है तो इससे भारी राजस्व की हानि हो सकती है। प्रकरण में अन्य बिन्दुओं को मूल प्रकरण में ही तय किया जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 2 आराजी सं. 17 श.न. 18 रकबा 2–00 बिघा भूमि में विपक्षीगण मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)

सहायक कलक्टर

भीण्डर

सहायक कलक्टर भीण्डर